रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1975/अग्रहायण 6, 1897
No. 234] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 1975/AGRAHAYANA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th November 1975

SUBJECT:—*Import of fire arms of non-prohibited bore.*

No. 123-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice **No. 181-ITC(PN)/74,** dated the 28th November, 1974, regarding import of fire arms of non-prohibited bore offered as gift to individuals from near relations abroad.

2. On a review of the position, it has been decided that the scheme for issue of custom clearance permits for import of revolvers and pistols, etc., of non-prohibited bore as gift shall, with immediate effect, be as indicated below:—

(i) Applications for grant of COPs for import of fire arms, under the gift scheme, will be considered as and when received. In other words, there will be no last date for receipt of applications and they will not be received on a quarterly basis, as hitherto.

(ii) Import of fire arms as gift shall be allowed only from blood relations who have been living abroad continuously for a period of not less than 2 (two) years. For the purpose of this scheme, blood relations will cover only father, mother, wife, husband, son, daughter or real brother or sister of the applicant.

(iii) No person shall be eligible to import more than one fire arm, namely revolver, pistol, etc. and more than once during a period of 10 years.

3. Applications should be made and CCPs obtained by the recepients of the gifts in advance of the firearms covered by the applications being despatched from abroad. No custom clearance permits will normally be issued after the despatch of the firearms from abroad and/or their arrival in India.

4. The import of ammunition shall not be allowed under the scheme.

5. The firearms covered by the CCPs shall not be sold or otherwise disposed of, or transferred, or parted with, for a period of 10 years from the date of their importation, unless specific permission of the Chief Controller of Imports & Exports has been obtained, in writing, for the sale or transfer, etc.

6. The following documents should accompany each application for grant of a custom clearance permit under this scheme:—

(i) Donor's letter, in original, on an aerogram;

(ii) An affidavit, on a stamped paper of the appropriate value, duly sworn in before a Magistrate or a Notary Public, (a) showing the exact relationship of the donor with the applicant and that he/she or his wife/her husband had *not* imported a firearm, namely revolver, pistol, rifle, etc., either as gift, or otherwise, during the proceeding 10 years, and (b) undertaking that the firearm covered by the CCP, if issued in his/her favour, shall not be sold, or otherwise disposed of, or parted with, within a period of ten years from the date of its importation, without obtaining the specific permission of the Chief Controller of Imports and Exports, in writing;

(iii) An affidavit from the donor indicating the period of his/her continuous stay abroad and giving particulars of his/her passport and dates and period of his/her last visit to India and accompanied by a certificate from the donor's employers or any other person (Indian or foreigner) in authority in the country in which he/she resides testifying about his/her continuous stay abroad.

(iv) Valid IVC/exemption number issued by the Income Tax Authorities or assessment certificate issued by the Income Tax Department in favour of the applicant.

(v) Valid arms licence issued by the appropriate licensing authority in India.

(vi) A treasury challan for Rs. 50/- as application fee to be deposited in the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any government treasury under the head "Import licence application fee" subordinate to the major head "104-other general Economics services."

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1975

विषय :—गैर-निषेध और बोर के अग्न्यस्त्रों का आयात ।

सं० 123-आईटीसी(पीएन)/75.—विदेश में रहने वाले नजदीकी सम्बन्धियों से व्यक्तियों को मुफ्त उपहार के रूप में दिए गए गैर-निषेध बोर के अग्न्यस्त्रों के आयात से सम्बन्धित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 181-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपहार के रूप में गैर-निषेध बोर के रिवाल्वरों और पिस्तोलों के आयात के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए नीचे यथा निर्दिष्ट क्रियाविधि तत्काल से लागू होगी :—

(1) उपहार योजना के अधीन अग्न्यस्त्रों के आयात के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिटों की मंजूरी के लिए जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उन पर विचार किया जाएगा । दूसरे शब्दों में आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कोई अन्तिम तिथि नहीं होगी और वे अब तक की तरह त्रैमासिक आधार पर प्राप्त नहीं किए जायेंगे ।

(2) उपहार के रूप में अग्न्यस्त्रों का आयात केवल उन रक्त सम्बन्धियों से अनुमेय किया जाएगा जो कम से कम दो वर्षों की अवधि से लगातार विदेश में रह रहे हैं । इस योजना के उद्देश्य के लिए रक्त सम्बन्धियों में केवल आवेदक के पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, या सगा भाई या बहन शामिल होंगे ।

(3) कोई भी व्यक्ति 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक और एक से अधिक अग्न्यस्त्र अर्थात् रिवाल्वर, पिस्तोल आदि आयात करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

3. अग्न्यस्त्रों के विदेश से प्रेषित होने से पहले ही उपहार प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा आवेदन पत्र देने चाहिएं और सीमा-शुल्क निकासी परमिट प्राप्त कर लेने चाहिए । अग्न्यस्त्रों के विदेश से प्रेषण और/या भारत में उनके आ पहुंचने के बाद सामान्यतः कोई भी सीमा-शुल्क निकासी परमिट जारी नहीं किया जाएगा ।

4. इस योजना के अधीन गोला-बारूद की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. सीमा-शुल्क निकासी परमिटों में शामिल अग्न्यस्त्र उनके आयात की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए तब तक बेचे, या अन्यथा निपटाए, या हस्तान्तरित, या दिए नहीं जायेंगे जब तक कि बिक्री या हस्तान्तरण आदि के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त न कर ली हो ।

6. इस योजना के अन्तर्गत सीमा-शुल्क निकासी परमिट की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :—

(1) एक एरोग्राम पर उपहार कर्त्ता का मूल रूप में पत्र,

(2) आवेदन के साथ उपहार कर्त्ता की सही रिश्तेदारी को प्रदर्शित करते हुए और यह कि उसने पिछले 10 वर्षों के दौरान अग्न्यस्त्र अर्थात् रिवाल्वर, पिस्तोल, राइफल आदि या तो उपहार के रूप में या अन्य किसी प्रकार से आयात नहीं किया था, इसको प्रदर्शित करते हुए मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने विधिवत् शपथ लेकर उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक शपथपत्र और इस सम्बन्ध में एक वचन पत्र कि यदि सीमा-शुल्क निकासी परमिट उसको जारी किया गया तो उसमें शामिल अग्न्यस्त्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना उसके आयात करने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के भीतर उसे बेचा या अन्य प्रकार से निबटाया या छोड़ा नहीं जाएगा ।

(3) विदेश में उपहार कर्त्ता के लगातार ठहराव की अवधि उसके पासपोर्ट के ब्यौरे देते हुए और उसकी अन्तिम भारत यात्रा की तिथियों और अवधियों को निर्दिष्ट करते हुए एक शपथपत्र जो उपहारकर्त्ता के नियोजक से एक प्रमाणपत्र या जिस देश में उपहारकर्त्ता रहता है उस देश में उपहारकर्त्ता के विदेश में लगातार ठहराव के विषय में प्रमाणित करने वाले प्राधिकार में किसी अन्य व्यक्ति (भारतीय या विदेशी) से प्रमाणपत्र के साथ हो ।

(4) आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आय कर सत्यापन प्रमाण पत्र छूट संख्या या आयकर विभाग द्वारा आवेदक को जारी किया गया कर निर्धारण प्रमाणपत्र ।

(5) भारत के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध अग्न्यस्त्र लाइसेंस ;

(6) आवेदनपत्र के शुल्क के रूप में 50/—रुपये का एक राजकोष चालान यह शुल्क रिजर्व बैंक आफ इंडिया या स्टेट बैंक आफ इंडिया या किसी भी सरकारी कोष में मुख्य शीर्ष "104—अदर जनरल इकोनोमिक सर्विसिज" के अधीनस्थ शीर्ष "आयात लाइसेंस आवेदनपत्र शुल्क" के अन्तर्गत जमा कराना है ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975